न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास श्री चम्पालाल जीनगर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **192/2024**

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1 रामअवतार टाक पुत्र जीतमल टाक जाति माली निवासी नया दरवाजा नागौर तहसील व जिला नागौर।

2 शिवकुमार गहलोत पुत्र विजय कुमार जाति माली निवासी बी–2 इन्द्रा कोलोनी नागौर तहसील व जिला नागौर।

3 संजय गहलोत पुत्र विजय कुमार गहलोत जाति माली निवासी बी–2 इन्द्रा कोलोनी नागौर तहसील व जिला नागौर।

अप्रार्थीगण

1 पूर्णप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति माली भाटी निवासी सलेउ रोड बी.एल. गार्डन के पास नागौर तहसील व जिला नागौर।

2 जुगलकिशोर पुत्र स्व. रामदयाल जाति माली भाटी निवासी सलेउ रोड बी.एल. गार्डन के पास नागौर तहसील व जिला नागौर।

3 तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति –

1. श्री हरी प्रसाद सांचौरा, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री पवन श्रीमाली, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पुनिया, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के उप नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करवाने बाबत</u>

आदेश दिनांक : 02.02.2026

1– प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के उप नियम 14(4) के तहत पेश कर अवगत किया है कि मौजा नागौर के खसरा नम्बर 9 रकबा 39 बीघा 01 बिस्वा भूमि से से 7 बीघा भूमि का नियमन तहसीलदार नागौर के राजस्व प्रकरण संख्या 312/1976 सरकार बनाम रामदयाल में निर्णय दिनांक 16.12.1976 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता रामदयाल के नाम किया। उक्त नियमन की पालना में नामांतरकरण संख्या 275 दिनांक 28.01.1977 स्वीकृत कर दिया तत्पश्चात इस 7 बीघा कथित नियमनसुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 9/887 रेकर्ड में दर्ज होकर अप्रार्थी संख्य 01 व 02 के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 3302 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम भरा गया। गैर मुमकिन गोवा भूमि धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से उसका कोई नियमन/आंवटन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की शर्तों का उल्लंघन होने से मौजा नागौर के खसरा नम्बर 9/887 रकबा 7 बीघा का अप्रार्थी के पिता रामदयाल को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः गैर मुमकिन गोवा दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौजा नागौर की जमाबंदी सम्वत् 2020 से 39, 2061 से 64, 2058 से 60, 2053 से 56, 2049 से 52, 2045 से 48, 2033 से 35, 2036 से 39, 2023 से 36 तथा 2077 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण संख्या 275 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर के सिविल रिट पिटिशन संख्या 18753/24 में पारित आदेश दिनांक 18.11.24 की फोटोप्रति, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13.04.71 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने माननीय न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के प्रकरण संख्या 126/24 की पत्रावली की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 नागौर के प्रकरण संख्या 72/24 व 71/24 की फोटोप्रति पेश की गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की तरफ से वकालतनामा श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री ओम प्रकाश पुनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.08.25 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील सरासर गलत, विधि विरूद्व व आपसी मिलावटी ढंग से षडयंत्रपूर्वक पारित करवाया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–प्रकरण हाजा से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करे तो तहसीलदार के यहां पटवारी ने उक्त सरकारी भूमि खसरा नम्बर 9 के रकबा 8.6 बीघा पर रामदयाल का अतिक्रमण मान कर रिपोर्ट पेश की व धारा 91 राज0 भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हुई लेकिन उसके पश्चात एकाएक तहसीलदार नागौर व रामदयाल वगैरा ने मिलकर कथित नियमन की फर्जी कार्यवाही करवा कर रामदयाल उस समय नियमन का पात्र न होते हुऐ भी व उसका पुराना कब्जा साबित न होते हुऐ भी गैर कानूनी रूप से निशुल्क नियमन का आदेश पारित करवाया गया होने से विधि सम्मत नहीं है।

{2}(III)–तहसीलदार नागौर के सक्षम मामला धारा 91 राज0 भूराजस्व अधिनियम के तहत दर्ज हुआ व ऐसे मामलो में निशुल्क नियमन का आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को क्षेत्राधिकार न होते हुऐ भी तहसीलदार ने निशुल्क नियमन सरकारी भूमि के संबंध में करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। कथित सरकारी भूमि का रकबा नियमन करवाने के लिए उस समय रामदयाल ने यह मिथ्या घोषणा की कि वह भूमिहीन है जबकि उस समय रामदयाल के खातेदारी व कब्जा में मौजा चेनार के खसरा नं. 321 की भूमि थी और वह खातेदार था, भूमिहीन व निशुल्क आवंटन के पात्र की श्रेणी में नहीं आता था, मिथ्या घोषणा व फर्जी दस्तावेज के जरिये नियमन का आदेश जैर अपील पारित करवाया होने से आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–पत्रावली का अवलोकन करे तो स्पष्ट होगा कि पत्रावली को सलाहकार समिति में भेजने का अंकन अवश्य है मगर सलाहकार समिति में किस पत्र के जरिये, कब भेजी गयी, सलाहकार समिति के सदस्य कौन कौन थे, सलाहकार समिति ने किसके जरिये मौका रिपोर्ट मंगवाई, क्या जांच करवाई ऐसा कुछ भी अंकन नहीं है तथा तहसीलदार को खातेदारी/ गैर खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने व भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नही होते हुऐ भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मिलावटी ढंग से खातेदारी अधिकार रामदयाल को प्रदान करते हुऐ किस्म परिवर्तन कर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से कथित नियमन आदेश के जरिये खातेदारी दर्ज करवाई गयी और रामदयाल को उस समय यह पता था कि वह नियमन का पात्र नहीं है खातेदारी गलत दर्ज करवाई गयी है इस कारण उसको छुपाये रखा व अब स्व. रामदयाल ने अपने नाम दर्ज गलत नियमन का फायदा उठा कर गलत खातेदारी की आड में अपने पुत्रो यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 13.12.2023 को नूमाईशी बख्शीशनामे करवा दिये व उनके जरिये बाले बाले रेस्पो.सं. 1 व 2 ने अपने नाम खातेदारी गलत रूप से दर्ज करवा ली व उतरोतर गलत खातेदारी दर्ज करवा कर गेर मुमकिन गोवा रास्ता की भूमि को संकड़ा कर अपीलांट्स आदि के आवागमन व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश जनहित व राजहित के विपरीत, बिना विधिक प्रक्रिया अपना, बिना क्षैत्राधिकार के पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–उक्त आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि गेर मुमकिन गोवा सरकारी भूमि होना राजस्व रेकर्ड से साबित है तथा ऐसी भूमि धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से उसका कोई नियमन / आवंटन नहीं किया जा सकता था और विधि विरूद्ध कोई नियमन आदेश होता है तो ऐसे आदेश को अपील के जरिये कभी भी सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है जिसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है तथा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से गेर कानूनी है व उसके विरूद्व अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही है इस कारण अपीलीय क्षेत्राधिकार के जरिये उक्त पत्रावली को तलब कर आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में Nizamuddin Vs the board of revenue-1991 Supreme(Raj) 773 पेज 01 से 17 नजीर पेश की।

{3}–वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में बताया कि–

{3}(I)– जहां तक प्रार्थीगणण अपीलार्थीगण का यह कथन गलत है कि उपरोक्त अप्रार्थीगण के पिता रामदयाल ने मूल ख.नं. 9 रकबा 39.01 बीघा गै.मु. गोवा वाके सरहद मौजा नागौर की 7 बीघा भूमि 1976 में मिथ्या घोषणा के आवेदन के जरिये फर्जीवाडे से अपने नाम नियमन करवा ली है। यह भी गलत है कि ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर बक्सीसनामे अप्रार्थीगण के नाम निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाये हैं बल्कि पूर्ण रूप से वैधानिक रूप से दस्तावेज के आधार पर ही नियमन कार्यवाही रामदयाल ने करवाई थी। तत्पश्चात

अपर कलक्टर, नागौर

विधिवत रूप से बक्सीसनामे अप्रार्थीगण के नाम निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाये थे, जो वर्तमान में भी प्रभावशील है। इस कारण प्रार्थीगण को वैधानिक दस्तावेज को फर्जी कहने का अधिकार नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन के किसी रास्ते को अतिक्रमण कर संकुचित किया हो, गलत है। यह भी गलत है कि इस संबंध में विरोध होने पर अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज बताने पर नियमन की जानकारी प्रार्थीगण को हुई हो बल्कि प्रार्थीगण को नियमन की जानकारी उनकी समझ समझाइश से रही है। साथ ही नियमन आदेश प्रार्थीगण के जन्म से पहले का है जिसका गलत कहने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं रहता है। प्रार्थीगण द्वारा आदेश की जानकारी होने पर रेकर्ड इत्यादि की जानकारी होने पर प्राप्त हुई हो गलत है। यह गलत है कि जुलाई 2024 में नकले प्राप्त होने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई हो। प्रार्थीगण को किस प्रकार की सलाह नियमन के आदेश के विरुद्ध मिली अप्रार्थीगण को जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण की रिट याचिका सं. 18753/2024 राम अवतार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की है तो वह विधिविरुद्ध रही इसी कारण प्रार्थीगण के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं हुआ। यह गलत है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया बल्कि बदनियती से एवं बदयान्ति पूर्ण तरीके से अपील व आवेदन पत्र पेश किया गया है जिस कारण नियमन आदेश षडयंत्र पूर्वक पारित किया गया है। प्रार्थीगण को यह कहने का अधिकार नहीं है। यह भी गलत है कि रामदयाल के विरुद्ध अतिक्रमण मानते हुए रामदयाल के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही तहसीलदार ने की हो। यह गलत है कि तत्पश्चात तहसीलदार नागौर ने मिलावट कर नियमन आदेश पारित कर दिया हो। यह गलत है कि ऐसे नियमन आदेश में रामदयाल का कब्जा साबित नहीं हुआ हो। यह भी गलत है कि तहसीलदार द्वारा निशुल्क नियमन के आदेश पारित किये हो। बल्कि प्रार्थीगण ने मात्र काल्पनिक व बनावटी तथ्य उल्लेख किये हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन पोषणीय न होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

{3}(II)– तहसीलदार नागौर द्वारा किसी प्रकार की नियमन कार्यवाही में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की न ही प्रार्थीगण द्वारा उल्लिखित तथ्यों से कोई कानूनी त्रुटि होना प्रमाणित होती है तथा रामदयाल ने नियमन हेतु कोई मिथ्या घोषणा नहीं की न ही कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करवाये न ही प्रार्थीगण को रामदयाल के नाम हुए नियमन को अपील के जरिए आदेश को चुनौती देने का अधिकार ही है। उसके बावजूद जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह गलत व झूठा होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(III)– नियमन आदेश से पूर्व संबंधित उचित एवं समुचित कार्यवाहियां तहसीलदार नागौर द्वारा की गई थी तथा ऐसे समय प्रार्थीगण का जन्म ही नहीं हुआ था। इस कारण प्रार्थीगण को तहसीलदार नागौर इत्यादि के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है। यह भी गलत है कि तहसीलदार ने गलत रूप से किस्म परिवर्तित की हो एवं राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया हो। यह भी गलत है कि रामदयाल को नियमन

अपर कलक्टर, नागौर

की गई भूमि का कब्जा अथवा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ हो। यह भी गलत है कि रामदयाल ने नियमन आदेश का फायदा उठाकर गलत खातेदारी अपने नाम करवा ली हो तथा नुमाईशी बक्शीसनामा अप्रार्थीगण के नाम दिनांक 13.12.2023 को निष्पादित करवाया हो। प्रार्थीगण को उक्त बक्शीसनामा को नुमाईशी कहने अथवा अन्य प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त ख.न. वाली भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। साथ ही धारा 16 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत रामदयाल को आवंटित की गई भूमि नहीं आती है, न ही इस आधार पर रामदयाल के नाम नियमन आदेश को अपील के जरिए अपास्त किया ही जा सकता है। बल्कि प्रार्थीगण का आवेदन आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(IV)– यह गलत है कि अप्रार्थीगण खातेदारी की आड़ के अन्दर किसी प्रकार से अतिक्रमण कर रास्ते इत्यादि को संकुचित कर रहे हो अथवा पुख्ता रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हो। जहां तक प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन का बिन्दु है वह प्रार्थीगण के कथनानुसार कतई प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वादग्रस्त ख.न. की भूमि के संबंध में किसी प्रकार की रोक अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के संबंध में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

4– राजकीय अधिवक्ता ने वकील प्रार्थीगण की बहस का समर्थन किया एवं बताया कि आराजी भूमि की किस्म गोवा है और गोवा भूमि को खातेदारी के अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

5– बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड मौजा नागौर की जमाबंदी सम्वत् 2029 से 32 अनुसार खसरा नम्बर 09 रकबा 39 बीघा 01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोवा का अंकन है। तहसीलदार नागौर ने पत्रावली संख्या 312/76 द्वारा नियमन आदेश दिनांक 16.12.76 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 9 के रकबा 39 बीघा 01 बिस्वा में से 7 बीघा भूमि का नियमन अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता रामदयाल के नाम कर दिया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 275 के द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता रामदयाल के नाम दर्ज हुई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में बताया है कि गोचर, गोवा अथवा सावर्जनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि पर खातेदारी अधिकार सृजित नहीं किए जा सकते। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि ऐसी भूमि पर राजस्व अधिकारियों द्वारा खातेदारी अथवा नियमन संबंधी आदेश पारित किए गए हों, तो ऐसे आदेश प्रथम दृष्टया ही अधिकार क्षेत्र से परे (Without Jurisdiction) होने के कारण विधि की दृष्टि से शून्य माने जायेंगे तथा उन्हे किसी भी स्तर पर संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किया गया कोई भी नियमन/नामान्तरकरण आदेश राज्य सरकार के अधिकारों के प्रतिकूल एवं विधि विरूद्व होता है। तहसीलदार नागौर द्वारा गैर मुमकिन गोवा भूमि पर नियमन आदेश दिनांक 16.12.1976 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नागौर द्वारा पत्रावली संख्या 312/76 में पारित नियमन आदेश दिनांक 16.12.76 को निरस्त कर आवंटन सुदा भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन गोवा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नागौर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

6— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर नागौर